न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः–डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या –05/2019 (अपील)
जीसीएमएस न0 2019/00005

सन्तोष भार्गव (मृतक) पुत्री स्व0 नन्द किशोर भार्गव जरिए कायम मुकामान–
1. रवि भार्गव पुत्र स्व0 मदन मोहन भार्गव
2. मनोज भार्गव पुत्र स्व0 श्री मदन मोहन भार्गव
3. सविता भार्गव पुत्री स्व0 मदनमोहन भार्गव
4. कविता भार्गव पुत्री स्व0 मदनमोहन भार्गव
   निवासीगण मकान नं0 101, शकुन्तला अपार्टमेंट छावनी, कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्याम बिहारी भार्गव (मृतक) पुत्र स्व0 श्री नंदकिशोर भार्गव, जरिये कायम मुकामान
   1/1 विकास भार्गव
   1/2 विवेक भार्गव
   निवासीगण ए–3, फ्लैट नं. 603 महालक्ष्मीपुरम, बारां रोड कोटा
2. तहसीलदार लाडपुरा कोटा
3. पंकज भार्गव पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद भार्गव
   निवासी 2974 , कूचा माईदास, बाजार सीताराम चौरासी घंटा मन्दिर के पास, दिल्ली–6
4. संदीप भार्गव पुत्र श्री स्व0 हनुमान प्रसाद भार्गव निवासी सी–585 अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी, दिल्ली–85
5. दीपक भार्गव पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद भार्गव निवासी 2974 , कूचा माईदास, बाजार सीताराम चौरासी घंटा मन्दिर के पास, दिल्ली–6
6. रेणु भार्गव पुत्री स्व0 हनुमान प्रसाद भार्गव निवासिनी सी–585 अवंतिका सेक्टर 1 रोहिणी दिल्ली 85
7. प्रीति भार्गव पत्नी श्री पवन भार्गव निवासिनी डी–1 राधिका देव नगर, टोंक रोड जयपुर
8. मुरारीलाल आत्मज श्री मोडूलाल जाति ब्राह्मण निवासी झालीपुरा तहसील लाडपुरा
9. ओमप्रकाश आत्मज श्री मोडूलाल जाति ब्रह्मण निवासी झालीपुरा, तहसील लाडपुरा

––रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व इंतकाल संख्या 4 दिनांक 23.09.1987 ग्राम दसलाना विरूद्व तहसीलदार लाडपुरा

उपस्थिति
1. श्री अमित शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 8 व 9

निर्णय

दिनांक– 09.06.2025

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दसलाना में खातेदार नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ जाति महाजन के खातेदारी की भूमि खाता संख्या 97 की किता–2 रकबा 3.98 हे0 भूमि दर्ज रेकार्ड थी । खातेदार नन्दकिशोर फोत होने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा खातेदार के वारिसान पुत्र श्याम बिहारी, मुकुट बिहारी व बेवा कृष्णा देवी के नाम नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 23.09.1987 को मुताबिक रिपोर्ट पटवारी जांच आई.एल. आर. के स्वीकृत किया गया ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 04 दिनांक 23.09.1987 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.11.2018 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है अपीलांट के पिता स्व0 नन्दकिशोर भार्गव के कृषि खाते की पुराना खसरा नम्बर 504/519 नया खसरा नम्बर 748 रकबा 1.72 हे0, पुराना खसरानम्बर 504, नया खसरानम्बर 754 रकबा 2.26 हे0 कुल 2 किता की 3.98 हे0 आराजी ग्राम दसलाना में स्थित है । अपीलांट के पिता का दिनांक 10.12.1985 को देहांत हो गया । स्व0 नन्दकिशोर भार्गव के दो पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव थे, पत्नी कृपा देवी तथा तीन पुत्रियां अपीलांट श्रीमति संतोष, प्रेमलता एवं ओमलता भार्गव है । कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव तथा प्रेमलता व ओमलता भार्गव का देहांत हो चुका है । मुकुट बिहारी कोई उत्तराधिकारी नहीं है । प्रेमलता के एक पुत्री व तीन पुत्र है तथा ओमलता के एक पुत्री है । रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 6 स्व. प्रेमलता के कायम मुकामान है तथा रेस्पोडेन्ट कम 7 स्व. ओमलता के कायम मुकामान है । स्व. नन्दकिशोर भार्गव की मृत्यु के उपरांत उनके मिल्कियती कृषि आराजी में तत्समय जीवित सभी उत्तराधिकारियों कमश श्रीमति कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव, संतोष देवी तथा प्रेमलता एवं ओमलता के नाम से इंतकाल खोला जाना था लेकिन रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के धोखाधडी करते हुए अपीलांट की माता श्रीमती कृपा देवी अपीलांट की बहिन प्रेमलता एवं अपीलांट का फ़र्जी शपथ पत्र दिनांक 1.9.1987 को पेश कर रेस्पो0 कम 2 के समक्ष जाहिर किया कि अपीलांट अपीलांट की माता एवं बहिन के द्वारा अपने हित का त्याग जरिये शपथ पत्र श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में त्याग दिया है । तथा समस्त हित श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी में निहित हो गये है तथा उक्त भूमि पर दोनों भाईयों के नाम से इंतकाल खोले जाने की सहमति अपीलांट एवं अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा दे दी है । उपरोक्त फर्जी शपथ पत्रों के आधार पर रेस्पोडेंट कम–2 तहसीलदार के द्वारा शपथ पत्रों की जांच किए बिना ही रेस्पो0 कम 1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के नाम से उपरोक्त आराजी का इंतकाल खोल दिया तथा विधि विरूद्व रूप से अपीलांट उसकी माता बहिनों के नाम खाते से हटा दिये । जबकि अपीलांट की माता एवं अन्य बहिनों के नाम नन्दकिशोर जी के फोती इंतकाल में नाम दर्ज होना चाहिए था । इस कारण अपीलाधीन आदेश पूर्णतया अवैध एवं पूर्णतया विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पो0 नं0 1 दौराने अपील कार्यवाही फोत होने से वकील अपीलांट ने रेस्पो0 नं0 1 के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र दिनांक 3.12.2024 को पेश किया । कायम मुकामान की तलबी की गई । रेस्पो0 नं0 1 के कायम मुकामान की ओर से अभिभाषक श्री दीपक शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ । अपील में ओमप्रकाश एवं मुरारीलाल द्वारा दिनांक 11.3.2025 को प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलांटगण को कोई आपत्ति नहीं होने से रेस्पोडेन्ट नं0 8 व 9 के रूप में स्वीकार किया गया । वकील अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 8 व 9 के वकील उपस्थित । रेस्पो0 नं0 1 के कायम मुकामान के अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित है तथा शेष रेस्पोडेन्टगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी हो चुके है किन्तु बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । उपस्थित विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता स्व0 नन्दकिशोर भार्गव के कृषि खाते की पुराना खसरा नम्बर 504/519 नया खसरा नम्बर 748 रकबा 1.72 हे0, पुराना खसरानम्बर 504, नया खसरानम्बर 754 रकबा 2.26 हे0 कुल 2 किता की 3.98 हे0 आराजी ग्राम दसलाना में स्थित है । अपीलांट के पिता का दिनांक 10.12.1985 को देहांत हो गया । स्व0 नन्दकिशोर भार्गव के दो पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव थे, पत्नी कृपा देवी तथा तीन पुत्रियां अपीलांट श्रीमति संतोष, प्रेमलता एवं ओमलता भार्गव है । कृपा देवी, मुकुट बिहारी भार्गव तथा प्रेमलता व ओमलता भार्गव का देहांत हो चुका है । मुकुट बिहारी के कोई उत्तराधिकारी नहीं है । प्रेमलता के एक पुत्री व तीन पुत्र है तथा ओमलता के एक पुत्री है । रेस्पोडेन्ट कम 3 लगायत 6 स्व. प्रेमलता के कायम

जिला कलक्टर
कोटा

मुकामान है तथा रेस्पोडेन्ट कम 7 स्व. ओमलता के कायम मुकामान है । स्व. नन्दकिशोर भार्गव की मृत्यु के उपरांत उनके मिल्कियती कृषि आराजी में तत्समय जीवित सभी उत्तराधिकारियों कमश श्रीमति कृपा देवी, मुकुट तिबहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव, संतोष देवी तथा प्रेमलता एवं ओमलता के नाम से इंतकाल खोला जाना था लेकिन रेस्पोडेन्ट कम 1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के धोखाधडी करते हुए अपीलांट की माता श्रीमती कृपा देवी अपीलांट की बहिन प्रेमलता एवं अपीलांट का फर्जी शपथ पत्र दिनांक 1.9.1987 को पेश कर रेस्पो0 कम 2 के समक्ष जाहिर किया कि अपीलांट अपीलांट की माता एवं बहिन के द्वारा अपने हित का त्याग जरिये शपथ पत्र श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में त्याग दिया है । तथा समस्त हित श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी में निहित हो गये है तथा उक्त भूमि पर दोनों भाईयों के नाम से इंतकाल खोले जाने की सहमति अपीलांट एवं अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा दे दी है । उपरोक्त फर्जी शपथ पत्रों के आधार पर रेस्पोडेंट कम–2 तहसीलदार के द्वारा शपथ पत्रों की जांच किए बिना ही रेस्पो0 कम1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के नाम से उपरोक्त आराजी का इंतकाल खोल दिया तथा विधि विरूद्व रूप से अपीलांट उसकी माता बहिनों के नाम खाते से हटा दिये । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नं0 1 के पक्ष में इंतकाल खोले जाने के पूर्व अपीलांट को एवं अन्य उत्तराधिकारियों को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है । रेस्पो0 नं0 2 के द्वारा अपीलांट एवं अन्य उत्तराधिकारियों के नाम केवल मात्र शपथ पत्र के आधार पर नाम हटाने में गम्भीर त्रुटि की है । क्योंकि शपथ पत्र के आधार पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हक त्याग नहीं किया जा सकता है तथा उपरोक्त शपथ पत्र विधिव रूप से भी तस्दीक नहीं थे तथा प्रथम दृष्टया फर्जी थे, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । अपीलांट एवं तत्समय अन्य उत्तराधिकारियों के द्वारा कभी भी रेस्पो0 कम 1 एवं स्व. मुकुट बिहारी भार्गव के पक्ष में हक त्याग नहीं किया ना ही रेस्पो0 कम 1 को कभी अपीलांटान के नाम इंतकाल खोले जाने से मना किया । उक्त सारी कार्यवाही फर्जीवाडा करते हुए स्वयं को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को ऐसे इंतकाल की प्रथम जानकारी 3 अप्रेल 2018 में हुई तदुपरांत अपीलांट के द्वारा दिनांक 10.4.2018 को नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 19.4.2018 को नकल प्राप्त हुई इस दौरान अपीलांट बीमार हो जाने के कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी । इसलिए यह अपील लगभग 6 माह विलम्ब से प्रस्तुत की जा रहीं है । अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का कारण सद्भाविक है । अपीलाधीन नामान्तरकरण की वर्णित भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 8 व 9 को कर दिया गया है, जबकि अपीलांटगण एवं नन्दकिशोर जी के अन्य वारिसान का उक्त भूमि पर हक व अधिकार निहित था तथा अपीलांट की माता एवं बहिनों ने विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये है । इस हेतु विक्रय पत्र अवैध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पो0 कम 2 के द्वारा पारित इंतकाल नम्बर 4 एवं आदेश दिनांक 28.9.1987 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट एवं अन्य कायम मुकामान का नाम खाते में बहैसियत खातेदार दर्ज फरमया जाने का आदेश प्रदान करें । वकील अपीलांट ने अपील में अपने कथनों के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये है–

- Smt. Sheo bai v/s shimbhoo RRD Feb. 2022 page 65
- Girja bai v/s Nathi bai RRD 1994 page 606
- Lamuram v/s state of rajasthan RRD 1989 page 45
- Prem singh v/s sugan kanwar RRT (2) page 1137
- State of rajasthan v/s Madanlal RRT 2013 (2) page 766
- State of rajasthan v/s Parasram RRC 1995 page 601

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रथम तो यह अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.9.1987 की 28 वर्ष उपरान्त मियाद बाहर प्रस्तुत की जा रही है। अपीलान्ट ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र की पेरा नम्बर 1 में वर्णित प्रार्थीया को अपील विषयक इन्तकाल की जानकारी दिनांक 3.4.2018 को होने का दिनांक 19.4.2018 को नकल प्राप्त होन के पश्चात बीमार होने का कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होना बताया है, जो मिथ्या एवं काल्पनिक झूंठे कथन वर्णित किया है । यदि अपीलांट बीमार थी तो अपील के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट आदि प्रस्तुत करती । इस प्रकार जानकारी की दिनांक एवं नकले प्राप्त होने के बाद भी 6 माह विलम्ब से

जिला कलक्टर
कोटा

अपील प्रस्तुत की है जो मियाद के बिन्दु पर ही निरस्तनीय है । वैसे भी रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त वर्णित भूमि खातेदार से जरिये विक्रय पत्र के क्रय की है तब से ही खातेदार काबिज काश्त है । विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि को नामान्तरकरण की अपील से निरस्त किया जाने का प्रावधान नहीं है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस यह भी कथन किया है कि अपीलांटगण द्वारा उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में एक वाद वास्ते घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा अन्तर्गत आदेश 88,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें आगामी पेश दिनांक 27.6.2025 को वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में नियत है जिसके प्रकरण संख्या 69/2024 होने का वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया है, वाद पत्र की प्रति फर्द के साथ दौराने बहस प्रस्तुत की है । वकील रेस्पोडेन्ट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये है–

- आर आर टी 2017 (1) 117
- आर आर टी 2016 (2) 1110
- आर आर टी 2018–19 (Supp) 218
- आर आर टी 2024 (1) 207

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तरकरण संख्या 4 दिनांक 23.09.1987 के विरूद्व दिनांक 29.11.2018 को प्रस्तुत की गई है । अपील मियाद बाहर है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रथम जानकारी दिनांक 03.04.2018 को होना बताया है । जबकि अपीलाधीन नामान्तरकरण में वर्णित भूमि रेस्पोडेन्ट नं0 8 व 9 द्वारा 5.1.1988 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसकी जानकारी अपीलांट की माता व बहिनों को प्रारम्भ से ही थी, साथ ही वकील अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में स्वयं वर्णित अनुसार इन्तकाल की प्रथम जानकारी दिनांक 3.4.2018 को होना बताया जाकर दिनांक 19.4.2018 को नकल प्राप्त होने के उपरान्त भी अपील प्रस्तुत नहीं कर 29.11.2018 को 7 माह बाद प्रस्तुत की है तथा 7 माह के विलम्ब के लिए ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया है । मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने **RRD Feb. 2022 page 65** प्रस्तुत की है जिसमें सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि **After making enquiry and taking evidence of possession on spot-procedure Followed by gram Panchayat is ab initio void –Limitation is not applicable** एवं प्रस्तुत **RRD Feb. 2022 page 65** प्रस्तुत की है जिसमें पारित विनिश्चय अनुसार **Order which is void ab initio can be challenged at any time-Appral Field after more than 18 year but immediately after Knowledge, is note barred** किन्तु प्रस्तुत अपील 28 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है तथा प्रथम जानकारी होने के बाद भी 7 माह बाद प्रस्तुत की गई है ऐसी स्थिति में यह न्यायिक निर्णय पूर्णरूप से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है । मियाद के शमन के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारण उचित एवं ठोस आधार नहीं होने से धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है । किन्तु प्रस्तुत अपील का निस्तारण मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त गुणावगुण के आधार पर भी विवेचन करना उचित समझते है ।

7. अपीलांट ने अपनी अपील में तर्क दिया है कि मूल खातेदार नन्दकिशोर का स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान में दो पुत्र मुकुट बिहारी भार्गव, श्याम बिहारी भार्गव व पत्नि कृपा देवी तथा तीन पुत्रियां अपीलांट श्रीमती संतोष, प्रेमलता एवं ओमलता भार्गव थी, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार मृतक खातेदार के फोती इंतकाल में दोनों पुत्र व पत्नि के साथ साथ तीनों पुत्रियों अपीलांट एवं बहिनों का भी नाम आना चाहिए, जिससे हम सहमत है, किन्तु इसी की निरन्तरता में अपीलांट स्वयं द्वारा कथन किया है कि रेस्पो0 कम 1 एवं स्व0 मुकुट बिहारी के द्वारा धोखाधडी करते हुए अपीलांट की माता कृपा देवी एवं अपीलांट की बहिन प्रेमलता एवं अपीलांटा का फर्जी शपथ पत्र दिनांक 1.9.1987 को पेश कर अपीलांट की माता एवं बहिन का अपने हित का हक त्याग जरिये शपथ पत्र श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में करवा लिया है । हमने अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 4 का अवलोकन किया जिसमें पटवारी ने स्पष्ट रिपोर्ट अंकित की है कि–"**दिनांक 10.12.85 को श्री नन्दकिशोर पुत्र रामनाथ**

जिला कलक्टर
कोटा

फौत हो चुके है जिसके वारिसान श्याम बिहारी, मुकुट बिहारी पुत्र व कृपा देवी बेवा, सन्तोष ओर प्रेमलता पुत्रियां मौजूद है । बेवा कृपा देवी, पुत्रियां सन्तोष एवं प्रेमलता ने शपथ आयुक्त द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र दिनांक 1.9.87 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपने अपने हिस्से की भूमि का हक अपने दोनों पुत्र एवं दोनों भाई अर्थात श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी को नीहित कर दिये है एवं उक्त भूमि पर अपना नाम ना कर दोनों भाईयो का नाम दर्ज करने में अपनी सहमति प्रकट की है ।" इससे तो यह स्पष्ट हो रहा है कि तहसीलदार द्वारा तत्समय नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय बहिनों एवं अपीलांट ने हक त्याग करने के कारण केवल दोनों पुत्रों के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है, तथा इस आधार पर इस नामान्तरकरण को **ab initio void** नहीं माना जा सकता है । अपीलांट द्वारा उक्त शपथ पत्रों को फर्जी होना बताया है किन्तु उक्त शपथ पत्र फर्जी होने का पुख्ता प्रमाण नहीं होने से इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है । अपीलाधीन नामान्तरकरण के आधार पर श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी भार्गव खातेदार होने के उपरान्त उक्त वर्णित आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट नं0 8 व 9 के द्वारा दिनांक 5.1.88 को क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त कर लिया है । वकील रेस्पोडेन्ट नं0 8 व 9 द्वारा फर्द के साथ प्रस्तुत फोटो प्रति दावा एवं स्थगन प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलांट द्वारा उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में एक नियमित वाद वास्ते घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा अन्तर्गत आदेश 88,188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया हुआ है जो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र की बहस में आगामी पेशी दिनांक 27.6.2025 को नियत है ।

8. मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Smt. Sheo bai v/s shimbhoo RRD Feb. 2022 page 65 , Giria bai v/s Nathi bai RRD 1994 page 606 , Lamuram v/s state of rajasthan RRD 1989 page 45 प्रस्तुत न्यायिक निर्णयानुसार नामान्तरकरण **ab initio void होने पर लिमिटेशन की बाध्यता नहीं है तथा जानकारी के तुरन्त बाद प्रस्तुत अपील मियाद बाहर नहीं मानी है, किन्तु इस प्रकरण में स्वीकृत नामान्तरकरण अपीलांट स्वयं एवं बहिन द्वारा शपथ पत्रों के आधार पर अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग करने के कारण ही अपीलाधीन नामान्तरकरण श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के पक्ष में स्वीकृत हुआ है । ऐसी स्थिति में इस नामान्तरकरण को ab initio void नहीं माना जा सकता है । साथ ही अपीलांट द्वारा प्रथम स्वयं के बताये अनुसार प्रथम जानकारी के भी 7 माह बाद अपील प्रस्तुत की है । ऐसी स्थिति में मियाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्यायिक निर्णय पूर्ण रूप से इस अपील पर लागू नहीं होते है । शेष न्यायिक निर्णय** Prem singh v/s sugan kanwar RRT (2) page 1137, State of rajasthan v/s Madanlal RRT 2013 (2) page 766, State of rajasthan v/s Parasram RRC 1995 page 601 से हम सहमत है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की सम्पत्ति में पुत्रियों का भी नाम आना चाहिए किन्तु इस प्रकरण में पुत्रियों द्वारा अपना हक 1.09.1987 को ही छोड़ने के कारण ही तहसीलदार द्वारा श्याम बिहारी एवं मुकुट बिहारी के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, इस कारण यह न्यायिक निर्णय भी इस प्रकरण पर पूर्णरूप से लागू नहीं होते है । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील मियाद बाहर बताई जाकर निम्न न्यांयिक निर्णय आर आर टी 2017 (1) 117, आर आर टी 2016 (2) 1110, आर आर टी 2018–19 (Supp) 218, आर आर टी 2024 (1) 207, प्रस्तुत किये है, प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों से हम सहमत है तथा यह इस प्रकरण में चस्पा होते है ।

जिला कलक्टर
कोटा

9. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत नामान्तरकरण में अपीलांट की माता कृपा देवी, अपीलांट एवं बहिनों के द्वारा जरिये शपथ पत्र शपथ आयुक्त से प्रमाणितशुदा प्रस्तुत कर अपना हक दोनों भाईयों के पक्ष में त्याग करने से अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर स्वीकृत किया गया है, जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है । वैसे भी अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है । हकों के निर्धारण हेतु अपीलांट द्वारा नियमित वाद सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें हकों का निर्धारण होना है । नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है, जिसमें हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है । हकों का निर्धारण नियमित वाद के जरिये ही संभव है, जो पक्षकारान के मध्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा में विचाराधीन है ।

10. परिणामतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों की रोशनी में यह अपील मियाद बाहर होन एवं अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के नामान्तरकरण संख्या 4 में कोई हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा

जिला कलक्टर
कोटा